

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 1975/फल्गुन 12, 1896

No. 46] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 1975/PHALGUNA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd March 1975

SUBJECT.—Repeat operation in respect of quota licences issued to established importers for the period 1973-74 as applicable to April, 1974—March 1975

No. 19-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 167-ITC(PN)/74, dated the 1st November, 1974, on the subject mentioned above.

2. On a review of the position, it has been decided that for the purpose of the operation, licences issued to the established importers for the period April 1973—March 1974 will be valid for a period of 18 months from 1st April, 1974 or from the date of issue of the licence, whichever is later.

B D KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय**सार्वजनिक सूचना****आयात व्यापार नियंत्रण**

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1975

विषय.—अप्रैल 1974-मार्च 1975 अवधि के लिये यथा लागू 1973-74 अवधि के लिए संस्थापित आयातकों को जारी किए गए कोटा लाइसेंस के सुव्यवस्था में आवृत्ति परिचालन।

सं. 19-आई. टी. सी. (पी. एन.)/75.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 167-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 1 नवम्बर, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षण करने पर यह निश्चय किया गया है कि आवृत्ति परिचालन के प्रयोजनार्थ, अप्रैल 1973-मार्च 1974 अवधि के लिये संस्थापित आयातकों को जारी किए गए लाइसेंस 1-4-74 से या जारी होने की तारीख से 18 मास की अवधि तक, इन में जो कम हो, के लिए वैध होंगे।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।